न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्पट) नम्बर 03/2017 (GCMS No 2015/00026)

गुरदीपसिंह पुत्र श्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिंख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी (अपीलार्थी)

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. परमजीतकौर पुत्री स्व. श्री प्रीतमसिह पत्नी स्व. श्री साहबसिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नंबर 22 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखजीतकौर पुत्री स्व. श्री प्रीतमसिह पत्नी श्री गुरमेलसिह जाति जटसिख हाल निवासी चक 5 एम डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. हमीरकौर पत्नी स्व. श्री प्रीतमसिह जाति जटसिख निवासी 4 डी डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण (प्रत्यर्थीगण)

उपस्थितः
1. श्री सुरेश मोहता – अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री जगदीश शर्मा – अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 2, 3,
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 26.04.2022

1. यह अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्पट) इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2012 की पालना नही होने बाबत पेश किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्पट) पेश कर इस न्यायालय के अपील सं. 19/2017 (पुराना नं. 41/2012) में पारित स्थगन आदेश दिनांक 22.05.2012 की पालना नही करने पर अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया।
3. अवमानना प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नोटिस तामिल व अप्रार्थी सं. 4 को इस पत्रावली में जारी नोटिस तामिल नही परन्तु अवमानना प्रकरण सं. 02/2017 में अप्रार्थी सं. 4 के निमित नोटिस जारी करने पर लेने से इन्कार होने की रिपोर्ट होकर वापिस प्राप्त होने पर पत्रावली बहस में रखी गई।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्पट) पर बहस के दौरान कहा कि पटवार हल्का बुगलावाली के ग्राम 21 एम.जे.डी. में श्री प्रीतमसिह पुत्र हरदत्तसिह के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख. सं. 92/184 में .872 तथा 27 ए एमपी में ख सं. 95/167 में .661 हिस्सा कृषि भूमि स्थित थी। जिसके संबध में विरासतन इन्तकाल 394/7.10.2011 को अमल दरामद का आदेश तहसीलदार भू.अ. संगरिया द्वारा दिया गया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा अदालतवाला में अपील प्रस्तुत की गई। अदालतवाला द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुए दिनांक 22.05.2012 को विवादास्पद कृषि भूमि से सबधित राजस्व अभिलेख की स्थिति आईन्दा आदेश तक यथावत रखे जाने तथा पक्षकारान द्वारा विवादित कृषि भूमि को किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही किये जाने के आदेश दिये। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को स्थगन की जानकारी होने के बावजूद स्थगन आदेश वाली कृषि भूमि को जरिये उप पंजीयक संगरिया में पंजीबद्व बैयनामा दिनांक 19.03.2015 के द्वारा क्रेता श्री गुरतेजसिह पुत्र श्री कुलदीपसिह जटसिख तहसील संगरिया को विक्रय कर दिया। और बैयनामा में झूठा अकित किया कि उक्त भूमि के मालिक है और किसी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नही है, ना ही किसी प्रकार हस्तान्तरण पर स्थगन है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 ता 4 द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश का खुल्लमखुल्ला उल्लधन किया। इसके अलावा स्थगन संबधी आदेश की प्रविष्ट करने की जिम्मेदारी अप्रार्थी सं. 1 की थी, वही भी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा नही की गई, ऐसा कर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भी न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना की गई है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्पट) मंजूर फरमाया जाकर अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के विरूद्व अवमानना की कार्यवाही की जावे। तथा अप्रार्थी सं.1 के विरूद्व भी अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

5. रेसपोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अवमानना प्रार्थना पत्र विधि के किस प्रावधानो के अन्तर्गत पेश किया गया है वो स्पष्ट नही है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अवमानना प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया जाता है जबकि स्टेट आफ राजस्थान को पक्षकार बनाया गया है जो चलने लायक नही है, इसके अतिरिक्त विक्रय पत्र का पजीयन उप पंजीयक संगरिया के द्वारा किया गया है जो इस प्रकरण में पक्षकार नही है।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नम्बर एक को गलत पक्षकार बनाये जाने के आधार पर उनके विरूद्व कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा अदालतवाला द्वारा दिनांक 22.05.2012 को विवादित कृषि भूमि से संबधित राजस्व अभिलेख की स्थिति आईन्दा आदेश तक यथावत रखे जाने तथा पक्षकारान द्वारा विवादित कृषि भूमि को किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही किये जाने के आदेश दिये। तत्पश्चात दिनांक 19.03.2015 को उप पंजीयक संगरिया में रजिस्ट्री की गई। इस प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2015 स्थगन आदेश के दौरान किये जाने के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2015 के आधार पर अपील में पारित निर्णय से पूर्व नामान्तरकरण दर्ज नही करने के आदेश दिये जाते है।

8. तदनुसार अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेप्मट) निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर